

अधिसूचना का. आ.1052(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2001

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35एसी के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 832 (ई), दिनांक 18 सितंबर, 1998 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 1 पर, उपकरणों / वाहनों की खरीद और दक्षिण गुजरात के भरूच और सूरत जिलों के पिछड़े और वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय परियोजना के संचालन के लिए, भारतीय जन सेवा संस्थान, 11, महालक्ष्मी सोसाइटी, अहमदाबाद -380 007 द्वारा, कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था;

और चूंकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार तीन वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और चूंकि राष्ट्रीय समिति ने इस बात से समाधान पा लिया है कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, अतः उसने आयकर नियम, 1962 के नियम 11एम के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को 35.12 लाख रुपए से संशोधित कर 183.35 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35एजी के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

(क) दक्षिण गुजरात के भरूच और सूरत जिलों के पिछड़े और वनवासी क्षेत्रों में उपकरणों/वाहनों की खरीद और एकल विद्यालय परियोजना के संचालन की योजना या परियोजना को, जो भारतीय जन सेवा संस्थान, 11, महालक्ष्मी सोसायटी, अहमदाबाद-380007 द्वारा की जा रही है, कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट करता है; तथा

(ख) उक्त अधिसूचना संख्या एस.ओ. 832(ई), दिनांक 18 सितम्बर, 1998 को निम्नलिखित प्रभाव से संशोधित करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 के सामने की सारणी में, अधिकतम लागत जिसके लिए अनुमति दी गई है, से संबंधित कॉलम (4) में, "35.12 लाख रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्द के स्थान पर, "183.35 लाख रुपए" अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 333-2001/एफ.सं. एन.सी-100/2001]